

CMA
EXCP

M-53

21/2/23

पंजीकृत डाक से

सेवा में,

प्रबन्धक निदेशक
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०,
सौदामिनी प्लॉट सं०-२ सैक्टर-२९,
गुडगाँव-१२२००१ (हरियाणा)

विषय:- जनसूचना अधिकार अधिनियम-२००५ के अन्तर्गत प्रथम अपील।

महोदय,

मेरे द्वारा अपने रजिस्टर्ड आवेदन पत्र दिनांक १३.०१.२०२३ के द्वारा तीन बिन्दुओं पर सूचना चाही गई है। वांछित सूचना अभी तक मुझे आपके कार्यालय के जन सूचना अधिकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अतः उक्त सम्बन्ध में प्रथम अपील आपकी सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी को इस अपील पर सुनवाई/ आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।

संलग्न- यथोक्त (एक)

दिनांक- २७.०२.२०२३

भवदीय,
वीरेन्द्र कुमार शर्मा

निवासी १/२८८८, परमानन्द निवास
लेबर कालोनी जय प्रभानगर,
सहारनपुर-२४७००१ (उ०प्र०)
मो०-९४११०८१३५१

AA (NR-I)

GPIo
13/2

13/3

विक्रम
13/03/2023


पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)

CIN No. L40101DL1989GOI038121



Northern Region-1 Headquarters, SCO 5-10, Sector-16A, Faridabad, Haryana-121002

संदर्भ: पावरग्रिड/उ.क्षे.1/आर.टी.आई./2200/7248

दिनांक: 01.03.2023

सेवा में,

श्री विरेंद्र कुमार शर्मा,
निवासी 1/2888, परमानन्द निवास, लेबर कालोनी,
जय प्रभानगर, सहारनपुर - 247001 (उ. प्र.) मो. न. 9411081351

विषय : आर टी आई प्रार्थना पत्र दिनांक 13.01.2023 के संदर्भ में ।

महोदय,

आपके आर. टी. आई. प्रार्थना पत्र पत्र दिनांक 13.01.2023 जो कि दिनांक 03.02.2023 को सी. पी. आई. ओ., पावरग्रिड, के. का. गुरुग्राम से प्राप्त हुआ के संदर्भ में मांगी गई बिंदुवार जानकारी निम्न है :

बिंदु न.	मांगी गई जानकारी	पावरग्रिड द्वारा जानकारी
1	आपके कार्यालय के पत्र के 0का0/मा0सं0/लो0शि0 दिनांक 20.09.2017 छायाप्रति संलग्न के द्वारा यह सूचित किया गया है कि मेरी लोक शिकायत याचिका पर कार्यवाही हेतु समिति का गठन किया गया है। अतः समिति के गठन सम्बन्धी आदेश की प्रामाणित प्रतिलिपि वांछित है।	समिति का गठन नोट दिनांक 25.08.2017 के माध्यम से किया गया। नोट में समिति में नामित अधिकारियों का विवरण दिया गया है जो कि आर. टी. आई. अधिनियम के नियम 8 (1) (g) and (j) के तहत छूट प्राप्ति के दायरे में है इसलिये प्रतिलिपि नहीं दी जा सकती।
2	मेरी लोक शिकायत याचिका पर गठित समिति द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण एवं समिति द्वारा प्रस्तुत की गई जांच आख्या मय संलग्नक प्रामाणित प्रतिलिपि वांछित है।	सम्बंधित पावरग्रिड रुडकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार समिति द्वारा प्रस्तुत की गई जांच आख्या रिपोर्ट रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है।
3	मेरी लोक शिकायत याचिका पर गठित समिति द्वारा प्रस्तुत की गई जांच आख्या पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण अथार्त विभाग द्वारा क्या निर्णय लिया गया और विभाग द्वारा क्या आदेश/निर्देश पारित किए गये का विवरण प्रामाणित प्रति वांछित है।	सम्बंधित पावरग्रिड रुडकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार समिति द्वारा प्रस्तुत की गई जांच आख्या रिपोर्ट रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है। इसलिये कोई आदेश/निर्देश पारित नहीं किया गया।

(Handwritten signature)


... 2

अपीलीय प्राधिकारी का विवरण

श्री ए.के. मिश्रा, कार्यकारी निदेशक (उ. क्षे.1), प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उ. क्षे.1 मुख्यालय,
SCO बे. संख्या 5-10, सेक्टर -16A, फरीदाबाद (हरियाणा)-121002,
फोन न. 0129-2666301

धन्यवाद |

भवदीय



[राजेश वी.]

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)
एवं पदनामित सी. पी. आई. ओ., पावरग्रिड, उ. क्षे. -1
फोन न.0129-2666305

M-53

पंजीकृत डाक से

सेवा में,

प्रबन्धक निदेशक
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०,
सौदामिनी प्लॉट सं०-२ सैक्टर-२९,
गुडगाँव-१२२००१ (हरियाणा)

DIP
20/1/23
near
DHR

महोदय,

कृपया जनसूचना अधिकार अधिनियम-२००५ के अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं पर जनहित में सूचना दिलाने हेतु अपने कार्यालय के जनसूचना अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें-

- 1- आपके कार्यालय के पत्र के०का०/मा०सं०/लो०शि०दिनांक 20.09.2017 छायाप्रति संलग्न के द्वारा यह सूचित किया गया है कि मेरी लोक शिकायत याचिका पर कार्यवाही हेतु समिति का गठन किया गया है। अतः समिति के गठन सम्बन्धी आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि वांछित है।
- 2- मेरी लोक शिकायत याचिका पर गठित समिति द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण एवं समिति द्वारा प्रस्तुत की गई जांच आख्या मय संलग्नक प्रमाणित प्रतिलिपि वांछित है।
- 3- मेरी लोक शिकायत याचिका पर गठित समिति द्वारा प्रस्तुत की गई जांच आख्या पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण अर्थात् विभाग द्वारा क्या निर्णय लिया गया और विभाग द्वारा क्या आदेश/निर्देश पारित किए गये का विवरण प्रमाणित प्रति वांछित है।

अतः सूचना शुल्क के रूप में दस रू० का भारतीय पोस्टल आर्डर सं०-57F310675 मूल रूप में संलग्न प्रेषित है।

दिनांक- 13.01.2023

संलग्न:- यथोक्त(2)

भवदीय,

वीरेश कुमार

निवासी 1/2888, परमानन्द निवास
लेबर कालोनी जय प्रभानगर,

सहारनपुर-247001 (उ०प्र०)

मो०-9411081351

→ CP10, EC

15/2
17/1/23
24-7-23

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(शासक साकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)



केन्द्रीय कार्यालय: "सौदामिनी" प्लॉट सं. 2, सेक्टर-29, गुरुगाँव-122 001, (हरियाणा) दूरभाष: 0124-2571700-719, फैक्स: 0124-257176
"Saudamini" Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon-122 001, (Haryana) Tel.: 0124-2571700-719, Fax: 0124-2571762, Web: www.pgcilindia.com

CIN : L40101DL1999GOI03812

के.का./मा.सं/सो.शि

20 सितंबर, 2017

सेवा में,

श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा

एच.स. 1/2888 परमानंद निवास

जयप्रभा नगर, लेबर कॉलोनी

पो. कुतुबशेर, 247001

सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

विषय: लोक शिकायत (Reg. No. PMOPG/D/017/0365714) का उत्तर- reg

प्रदोह्य,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बंध में आपके द्वारा दायर याचिका / लोक शिकायत का संदर्भ ले, इस सम्बंध में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से उपलब्ध सूचना के तहत आपको यह सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा दर्ज लोक शिकायत/याचिका पर कार्यवाही हेतु समिति का गठन किया गया है। समिति की कार्यवाही के पूर्ण होने पर आपको वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाएगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी किया जा रहा है।

सह धन्यवाद,

भवदिय,

For

सह धन्यवाद

20/9/17

उ.म.ए (मा.सं-ऑ.सं.सं)